

पत्र संख्या : 7ब/2701 गैर योज०सं० - 04/2014.....292

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

उप समहर्ता, राजस्व प्रमंडल,  
जल संसाधन विभाग, राँची ।

विषय :-

राँची, दिनांक 25-3-15  
वित्तीय वर्ष 2014-15 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष -03- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष -03- सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / शीर्ष	मुख्य	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5	
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक /001-निदेशन तथा प्रशासन	03-सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण		13.920

कुल आवंटित राशि -

रु० तेरह लाख बेरानबे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध ₹ 101.68 लाख (एक करोड़ एक लाख अड़सठ हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(श्वेता कुमारी)  
सहा. अभि.

(सुखदेव सिंह)  
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतनादि तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-

292

रॉची, दिनांक :- 25-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-


292

रॉची, दिनांक :- 25-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

  
(श्वेता कुमारी)  
सहा. अभि.

  
(मुक्ति प्रधान चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)



मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट-1

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

पत्रांक 252 दिनांक 25-3-15 का 3

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-03-सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2014-2015	कार्यालय का नाम	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		(आवंटित राशि रुपये में)	लाख	अभियुक्ति
			वेतन	एलाडी०शी०	15.11.2000 के बाद का वकफा	विक्रिया प्रतिभूति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वकी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग										
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
			पूर्व का आवंटन	0.00	0.00	0.25	0.60	0.00	0.60	0.10	0.20	0.60	0.10	86.45											
1	उप समहर्ता राजस्व प्रभुत्व, संकी 1		13.82	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	#										
			कुल आवंटन	0.10	0.00	0.25	0.60	0.00	0.60	0.10	0.20	0.60	0.10	100.37											
			अतिरिक्त आवंटन का योग	13.82	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92											

# वेतन मद में सामाजिक कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु राशि रु 10.20 लाख (दस लाख बीस हजार मात्र ) सम्मिलित ।

कुल आवंटित राशि-

रु० तेरह लाख बेरानबे हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(युनि साधन वीरसिंघ)

उप सचिव (आभ.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव